भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या1811

उत्तर देने की तारीख02 .03.2020

बाल एवं मातृ मृत्यु दर

1811.श्रीमती नवनित रवि राणाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में अमरावती जिले के जनजातीय बहुल धरनी, चिखलदरा और मेथागल क्षेत्र में बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम करने, कुपोषण रोकने, स्कूलों में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, महिला एवं पुरुष छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रावासों का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार धरनी, चिखलदरा तथा मेथागल के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग छात्रावासों का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
श्रीमती रेणुका सिंह सरुता

(क) से (ग): सरकार ने देश भर में रहने वाले जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं। देश में जनजातीय क्षेत्रों / भूमि में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और अवसंरचनात्मक विकास का अधिकांश भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरों को भरने के लिए पूरक पहल करता है।

भारत सरकार देश में बाल और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कई हस्तक्षेपों को लागू कर रही है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं::-

i) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम (जेएसएसके) के तहत नकद प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन या संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रसव कराने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें सिजेरियन प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और बीमार शिशुओं का एक वर्ष की आयु तक निःशुल्क उपचार शामिल है।
ii) व्यापक और गुणवत्तापरक प्रजनन के लिए प्रसूति केंद्रों का सुदृढ़ीकरणपूर्ण, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच + ए) सेवाएं, उच्च केसलोड सुविधाओं के

मातृ और बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) विभागों की स्थापना, सभी प्रसव केन्द्रों पर आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सुनिश्चित करना। बीमार और छोटे शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू), न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिटों (एनबीएसयू) और कंगारू मातृ देखरेख (केएमसी) इकाइयों की स्थापना शामिल है।

iii) कुछ अन्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) खुराक प्रदान करना, जो कि आयु वर्ग के बीच एनीमिया की रोकथाम के लिए पूरक हैं, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस (एनडीडी) पर वार्षिक कृमि निवारण, होम न्यूबर्न केयर के तहत 'आशा' द्वारा घर -घर जाकर सामुदायिक देखभाल प्रथाओं और बच्चों में दस्त के प्रबंधन के लिए बीमार नवजात शिशुओं की त्वरित चिकित्सा कराना और ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

बजट घोषणा 2017-18 के अनुसार, व्यापक प्राथमिक देखभाल के प्रावधान के लिए 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) में रूपांतरित किया जा रहा है जिसमें जनजातियों सहित देश की समूची आबादी के देखभाल के दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक स्तर पर निवारक और स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है।

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) का उद्देश्य गैर-संचारी रोगों, उपशामक और पुनर्वास संबंधी देखभाल, ओरल, आंखों और ईएनटी देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आपात स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल को शामिल करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है और आघात के साथ-साथ स्वास्थ्य संवर्धन और कल्याण गतिविधियों जैसे योग के अलावा पहले से ही मातृ और बाल स्वास्थ्य के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिनमें टीकाकरण और संचारी रोग शामिल हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेवाओं जैसी कई योजनाओं को भी लागू कर रहा है, जिसके तहत छह सेवाएं अर्थात् पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं एडब्ल्यूसी पर प्रदान की जाती हैं; प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पीएमएमवीवाई) जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म के लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; जनजातीय क्षेत्रों में उन महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार के लिए, किशोरियों के लिए स्कीम के तहत 11-14 वर्ष की किशोर बालिकाओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अजजा बच्चों को विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों के अजजा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मिडिल और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (ईएमआरएस) की एक योजना शुरू की है ताकि उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने की सुविधा मिले और वे सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने के समर्थ हो पाएं।

बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास का निर्माण ईएमआरएस की योजना का एक अभिन्न अंग है। चिखलदरा में पहले से ही एक ईएमआरएस क्रियाशील है और एक और ईएमआरएस महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धारनी में वर्ष 2022 तक स्थापित किया जाना है। वित्त पोषण के लिए नई परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय को अपनी योजनाओं के तहत तैयार और अग्रेषित किया जाता है। अनुमोदन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा विचार किया जा रहा है।

*****